

पुलिस गिरफ्तार करे या बुलाए तो आपके अधिकार: नागरिक गाइड

यह कब काम आता है

- परिवार के किसी सदस्य को थाने ले जाया गया है
- आपको पुलिस का हाज़िर होने का नोटिस मिला है
- कुछ होने से पहले अपने अधिकार जानना चाहते हैं

कदम-दर-कदम

1. कारण पूछें

गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना ज़रूरी है। विनम्रता से पूछें और अधिकारी का नाम और समय लिख लें।

2. किसी को बताएँ और वकील माँगें

आप किसी रिश्तेदार या दोस्त को सूचना दिलवा सकते हैं और वकील से सलाह ले सकते हैं। खर्च न उठा सकें तो मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है; हमारा NALSA पेज देखें।

3. 24 घंटे का नियम जानें

गिरफ्तार व्यक्ति को सफ़र का समय छोड़कर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। खाली या बिना पढ़े कागज़ों पर दस्तखत न करें।

4. सिर्फ़ नोटिस हो तो

कुछ अपराधों में पुलिस गिरफ्तारी की जगह हाज़िर होने का नोटिस दे सकती है। उसे पढ़ें, तारीख़ पर जाएँ और हो सके तो वकील साथ ले जाएँ।

ज़रूरी बातें

- मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेशी संवैधानिक सुरक्षा है
- आप शुरू से वकील माँग सकते हैं
- पुलिस ये नियम न माने तो वकील कार्रवाई कर सकता है; थाने में बहस न करें

हेल्पलाइन: साइबर ठगी 1930 · उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 · महिलाएँ 181 · आपातकाल 112 · मुफ्त कानूनी सहायता 15100